



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुकमा जिला-सुकमा (छ0ग0)



क्रमांक / मु.चि.अ. / एनटीईपी / 2025
1839

सुकमा, दिनांक 03/07/2025

-::रुचि की अभिव्यक्ति ::-

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी.) अन्तर्गत जिले में NGO/PP स्कीम के तहत कार्यक्रम के सफल क्रियांवयन हेतु NGO/PP गतिविधियां आयोजित करवाया जाना है। उक्त कार्य हेतु बस्तर संभाग में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (NGO) से रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी (नियम एवं शर्तें एवं फॉर्मेट ए) सुकमा जिले के वेबसाइट www.sukma.gov.in एवं कार्यालय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) सुकमा के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि:-
आवेदन खोलने की तिथि

31.07.25 21.07.25 24.07.2025
:- 25.07.2025

31/7/2025

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2 जिला सुकमा (छ0ग0)

अनुबंध हेतु नियम एवं शर्तें

1. भारत सरकार / छ0ग0 शासन के इंडियन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट / इंडियन ट्रस्ट एक्ट / इंडियन रिलीजन एण्ड चेरेटीबल एक्ट / कंपनी एक्ट के अंतर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है ।
2. भारत सरकार के एनजीओ दर्पण पोर्टल में एनजीओ / पीपी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है ।
3. स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले एनजीओ / पीपी को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी ।
4. एनजीओ / पीपी अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता लैब टेक्नोलॉजी अनिवार्य होगी तथा मान्यता प्राप्त (छ0ग0 शासन) संस्था के द्वारा ही शैक्षणिक अर्हताएं होना एवं एक वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होगा ।
5. शासन द्वारा एनजीओ / पीपी कर्मचारियों को लैब तकनीशियन से संबंधित तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
6. चयन प्रक्रिया में चयनित एनजीओ के कर्मचारी के कार्यों की मॉनीटरिंग जिले के उच्चाधिकारियों द्वारा प्रति माह किया जायेगा एवं अनुबंध अवधि में लैब टेक्नीशियन कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे ।
7. आवेदन प्रपत्र के साथ निम्न जानकारीयां संलग्न कर आवेदन करना होगा ,एनजीओ का पंजीयन तीन वर्ष पूर्ण ऑडिट रिपोर्ट, अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य गतिविधि की फोटोग्राफ ।
8. एनजीओ / पीपी अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों में उपयोगी लैब जॉब भी किया जाना अनिवार्य होगा ।
9. प्रत्येक माह के 01 तारीख तक एनजीओ / पीपी अनुबंध संस्था को समस्त रिपोर्ट जिला क्षय उन्मूलन केन्द्र सुकमा में उपलब्ध कराना है या ईमेल dtocgskm@rntcp.org के माध्यम से रिपोर्ट उपलब्ध कराना होगा ।
10. प्रस्ताव (proposal) दर अधिकतम 14000.00 / – रुपये प्रतिमाह प्रति लैब टेक्नीशियन से अधिक नहीं होना चाहिये एवं निविदा दर का 10 प्रतिशत ओवरहेड कास्ट की राशि एनजीओ को प्रदान की जावेगी ।
11. प्रस्ताव (proposal) दो या अधिक एनजीओ का समान होने की स्थिति में निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी ।
 (अ) स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यानुभव ।
 (ब) CG Paramedica; council में लैब टेक्नीशियन का पंजीयन ।
 (स) एनजीओ का स्थानिय स्तर एवं लैब टेक्नीशियन का स्थानीय स्तर का होना ।
12. प्रत्येक माह जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में एनजीओ प्रतिनिधि का समस्त प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

13. एनजीओ/पीपी के प्रस्ताव आधार पर 01 लैब टेक्नीशियन कर्मचारी प्रदान करना अनिवार्य होगा।
14. एनजीओ/पीपी कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में एक नोटिस के आधार पर अनुबंध स्वतः निरस्त किया जा सकता है।
15. एनजीओ/पीपी पूर्णतः जिला क्षय उन्मूलन समिति के अधिपत्य में होगा।
16. एनजीओ/पीपी के पास लैब टेक्नीशियन नियुक्ति उपरांत एक या दो कर्मचारी अनिवार्य प्रतिक्षा सूची में रखा जावें।
17. एनजीओ/पीपी अनुबंध अवधि तक ही कार्य कराया जावेगा तथा अनुबंध अवधि समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त माना जावेगा।
18. एनजीओ/पीपी कर्मचारी का पे डाटा एनजीओ प्रतिमाह 01 तारिख तक भेजना अनिवार्य होगा, पे डाटा का सत्यापन विभागीय कार्य प्रणाली के माध्यम से किया जावेगा, तद उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।
19. एनजीओ/पीपी का चयन उपरांत प्रस्ताव के आधार पर वेतन का भुगतान एनजीओ को कर्मचारीयों को प्रतिमाह करना होगा, एनजीओ/पीपी का निविदा दर अनुसार दस प्रतिशत ओवरहेड राशि का भुगतान कर्मचारी के वेतन के साथ एनजीओ/पीपी को दिया जायेगा।
20. प्रस्ताव चयन प्रक्रिया में किसी भी विवाद कि स्थिति होने पर अंतिम निर्णय का पूर्ण अधिकार निविदा समिति का होगा।
21. चयन प्रक्रिया में वांछित परिवर्तन का सर्वाधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।


 मुख्याधिकारिता एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 जिला सुकमा (छोगा)

Format A

1. Name of the organization /practitioner/partner

2. Postal Address

District

State..... pin

code.....

Telephone.....

Email

2. Legal status: (Society/Trust/Company/Partnership Firm/Others)

3. Registration Detail:

4. Registered in Planning Commission Portal for NGOs (ngo.india.gov.in)

5. Bank Account Detail of NGO; (Account No. and Bank)

6. Contact Person: (including telephone and email id)

7. Has your organization ever been blacklisted by any organization / Government:

8. Key areas of Work (Provide detail in more than 2 pages)

.....
.....
9. Key stakeholders:(Youth/Women /Elected representatives etc):
.....
.....

10.Partnership Option under which application applied:
.....
.....

11.Geographical Area or work:
.....
.....

12.Ditails of budget required:
.....
.....

13 Documents required

- Detailed
- Registration certificate/papers
- Annual Report/Activity Report
- Audited Report of last financial Year (if applicable)
- FCRA registration details
- List of Government Board Member with contect details

Date of Application: